भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 113

गुरूवार, 29 जनवरी, 2026/9 माघ, 1947 (शक)

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत रिपोर्टों का प्रकाशन

113. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत वर्ष 2022 और 2023 की रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 2020 और 2021 की रिपोर्ट विलंब से प्रकाशित की गईं और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कई राज्यों में कृषि के लिए न्यूनतम मज़दूरी वर्ष 2014-15 से संशोधित नहीं की गई है; और

(ङ) यदि हाँ,तो इसके राज्य-वार क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत वर्ष 2022 तक की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है और वर्ष 2023 की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंध केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कृषि सहित अनुसूचित रोजगारों के कामगारों पर लागू होते हैं। इसके अलावा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के उपबंधों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित कर दिया गया है, जो दिनांक 21.11.2025 से प्रभावी है। मजदूरी संहिता, 2019 केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को समुचित सरकारों के रूप में उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रतिष्ठानों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित करने, उनकी समीक्षा करने और संशोधित करने का अधिकार प्रदान करती है।
